

  
भारत का राजपत्र  
The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 479]  
No. 479]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 16, 2018/आषाढ़ 25, 1940  
NEW DELHI, MONDAY, JULY 16, 2018/ASHADHA 25, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय वार्षिक आसूचना ब्यूरो)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जुलाई, 2018

सा. का. नि. 649(अ).— विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 8 के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा. का. नि. 272 (अ), दिनांक 23 मार्च, 2018 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पहले की गई या छोड़ी गयी वस्तुओं के सिवाए, केंद्र सरकार एतद्वारा तत्काल प्रभाव से 22-03-2019 तक के लिए सलाहकार बोर्ड का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे:-

- |      |                                      |   |         |
|------|--------------------------------------|---|---------|
| (1). | माननीय न्यायमूर्ति श्री राजीव शकधर   | - | अध्यक्ष |
| (2). | माननीय न्यायमूर्ति श्री ए. के. पाठक  | - | सदस्य   |
| (3). | माननीय न्यायमूर्ति सुश्री रेखा पल्ली | - | सदस्य   |

[फा.सं. पीडी-13004/01/2018 कोफेपोसा]

सुरेन्द्र कुमार गुप्ता, उप संचिव

पाद टिप्पणी: दिनांक 23 मार्च, 2018 की अधिसूचना सा. का. नि. 272 (अ), भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड-(i) में दिनांक 23 मार्च 2018 को प्रकाशित हुई थी।

MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Revenue)  
CENTRAL ECONOMIC INTELLIGENCE BUREAU

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th July, 2018

G.S.R. 649(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of Section 8 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) and in supersession of the Notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) G.S.R. No. 272 (E) dated 23rd March, 2018 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby reconstitutes an Advisory Board with immediate effect for a period upto 22.3.2019, consisting of :-

- (i) Hon'ble Mr. Justice Rajiv Shakdher
- (ii) Hon'ble Mr. Justice A.K.Patnaik
- (iii) Hon'ble Ms. Justice Rekha Palli
- 
- Chairperson
- 
- Member
- 
- Member

[F. No. PD-13004/01/2018-CORPOSA]

SURENDRA KUMAR GUPTA, Dy. Secy.

Footnote: The Notification G.S.R. No. 272 (E) dated 23rd March, 2018 was published in the Gazette of India (Extraordinary) Part II, Section 3, Sub Section (i) on the 23rd March, 2018.